राहत | सीएम ने रेंटल लीज मॉडल लागू करने के दिए निर्देश, जमीन की ऊंची कीमतों से मिलेगी राहत

उद्योगों के लिए किराए पर देंगे जमीन

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में निवेश परियोजनाओं के लिए जमीन की किल्लत को दूर करने के लिए अब उद्यमियों को लीज या किराए पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें निजी व सरकारी दोनों तरह की जमीन शामिल हैं। इससे बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं लगने के लिए अपेक्षाकृत बड़े भूखंड का इंतजाम हो सकेगा। इसके लिए राज्य में निवेशकों के लिए लीज- रेंट मॉडल लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉडल पर सहमति दे दी और अब औद्योगिक विकास विभाग इसके लिए कार्ययोजना बना रहा है। निवेशकों को राज्य में सस्ती जमीन दिलाने के लिए जरूरी है यह कवायद की जा रही है ताकि निवेशकों की परियोजना लागत कम हो सके। किराए की दरें, भुगतान की शर्तें, जमीन मालिक के अधिकार, किराएदार के अधिकार, बाजार दर आदि मामले तय किए जा रहे हैं।

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन की किल्लत

- इसमें निजी व सरकारी दोनों तरह की जमीन शामिल
- औद्योगिक विकास विभाग इसके लिए कार्ययोजना बना रहा है
- किराए की दरें, भुगतान की शर्तें, भूमि मालिक के अधिकार तय होंगे

पश्चिमी यूपी में जमीन खासी महंगी

पश्चिमी यूपी में जमीन खासी महंगी है और आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। अभी भी ज्यादातर निवेशक की प्राथमिकता नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आसपास उद्योग लगाने की है। हालांकि राज्य के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि बैंक बना रहे हैं। अब लीज रेंट मॉडल के जरिए निजी जमीन स्वामी निवेशक को लीज या किराए पर जमीन देंगे। इसके लिए उनके साथ अनुबंध होगा। इसकी दरें आपसी सहमति से तय होंगी। अभी बड़ी कई विदेशी कंपनियां व दूसरे राज्यों से आने वाली कंपनियां बड़े भूखंड की मांग करती हैं। बड़े आकार वाली जमीन मिलना मुश्किल होता है और उनकी दरें भी अधिक होती हैं।